



**The Salaries and Allowances and Pension of Members of the Legislative
Assembly Amendment Act, 2005**

Act 9 of 2006

Keyword(s):

Regional Allowance, Daily Allowance, Air Travel Companion, Personal Assistant, Medical Allowance

Amendment appended: Amendment 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड सरकार



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 100

8 फाल्गुन, 1927 शकाब्द
राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-5/2001-29/लेज०--झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)

(संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2006]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001
(झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-5 में क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द "4000/-रु० (चार हजार)" के स्थान पर "8000/- रु० (आठ हजार)" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
3. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-8(i) में दैनिक भत्ता अंक एवं शब्द में "350/-रु० (तीन सौ पचास)" रु० के स्थान पर "500/- (पाँच सौ) रु०" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
4. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-9 की उप धारा (i) की उप धारा (ख) में हवाई यात्रा के बाद शब्द "जल पोत" जोड़ा जायेगा तथा शब्द "विधान-सभा करेगी" के बाद "सदस्य हवाई यात्रा/जल पोत में एक सहयात्री ले जा सकेंगे" जोड़े जायेंगे ।
5. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-11 में निजी सहायक का प्रवधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द में "3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रु०" के स्थान पर "5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रु०" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
6. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-12 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में "2000/- (दो हजार) रु०" के स्थान पर "3000/- रु० (तीन हजार) रु०" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
7. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 की दूसरी पंक्ति को विलोपित करते हुए शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 75000/- (पचहत्तर हजार) रु०" के समतुल्य देय होगा "जो कि राँची, आवास, क्षेत्रीय कार्यालय और मोबाईल मद में भुगतये होगा" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
8. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13'क' "उपस्कर की सुविधा" एवं 13'ख' समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा जोड़ा जायेगा । झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-03, 2001) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13 'क' जो निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

"विधान मंडल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के बाद विधान सभा/केन्द्रीय पुल से आवास का सक्षम आबंटन होने एवं आवास अधिग्रहण करने के 15 दिनों के अन्दर उपस्कर साज सामग्री क्रय हेतु 25,000/- रु० (पच्चीस हजार रुपये) की राशि माननीय सदस्यों को दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 3000/- रु० (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष उपस्कर की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु भी दिये जायेंगे ।"

उप कंडिका 13'ख' निम्नरूप में जोड़ा जायेगा :

"विधान मंडल के सभी विधायकों को प्रतिमाह 500.00 (पाँच सौ) रुपये समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए देय होगा ।"

9. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-14 (i) में सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में "1000/- (एक हजार)" के स्थान पर "4000/- (चार हजार)" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 569

26 आश्विन, 1928 शकाब्द
राँची, बुधवार, 18 अक्टूबर, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2006

संख्या-एल०जी०-18/2006-120/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिम पर राज्यपाल दिनां 13 अक्टूबर, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान मंडल में (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
(संशोधन) अधिनियम, 2006

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 57वाँ वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन)
(संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. (i) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 का संशोधन (यथा संशोधित 2002) की कंडिका-6 के उपखण्ड 'ख' में प्रथम पंक्ति में अंक एवं शब्द 3000 (तीन हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 5000 (पाँच हजार) प्रतिस्थापित किया जायेगा । साथ ही साथ तीसरी पंक्ति में अंक एवं शब्द 15000/- (पंद्रह हजार) रुपये के स्थान पर 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (ii) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उप धारा(1)(ख) (यथा संशोधित 2002) की कंडिका 6 के उपखण्ड (ग) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द एक लाख रुपये के स्थान पर शब्द एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द समूह "हवाईजहाज से यात्रा" के बाद "में एक सहयात्री ले जा सकते हैं" शब्द समूह जोड़ा जायेगा तथा चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "तीन" के स्थान पर "चार" प्रति स्थापित किया जायेगा ।
- (iii) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उपधारा (iii) को विलोपित किया जायेगा ।
- (iv) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उपधारा (v) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "देय होगा" के बाद "परन्तु यह भी कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपलब्धि एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर लागू होंगे" को विलोपित किया जायेगा ।
3. (क) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा-18 का संशोधन (यथा संशोधित, 2002) की कंडिका 7(i) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "सरकारी अथवा" के बाद "मान्यता प्राप्त" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा । (शेष यथावत्) ।
- (ख) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा-18 (यथा संशोधित, 2002) की धारा (ii) के प्रथम पंक्ति में अंकित अंक शब्द "1000/- "(एक हजार)" रुपये के स्थान पर "2000/- (दो हजार)" रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
 सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
 विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।



झारखण्ड सरकार



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 476

7 भाद्र, 1928 शकाब्द
राँची, मंगलवार, 29 अगस्त, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2006

संख्या एल०जी०16/2006-104/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 जून, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विधान-सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006

[झारखण्ड अधिनियम 16, 2006]

शासन के अंतर्गत कतिपय लाभाप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिए कि उन पदों पर आसीन कोई व्यक्ति झारखण्ड विधान-सभा के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित न होगा, अधिनियम ।

जहाँ कहीं यह समीचीन हों कि कतिपय पदधारण करने वाले झारखण्ड विधान-सभा के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

एतद् द्वारा इस प्रकार अधिनियमित हों -

1. **संक्षिप्त नाम** -यह अधिनियम झारखण्ड विधान-सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006 कहलाएगा ।
2. **सदस्यों की अयोग्यता का निवारण** - कोई व्यक्ति झारखण्ड विधान-सभा की सदस्यता के लिए चुने जाने या बने रहने के लिए सिर्फ इसलिए अनर्हता नहीं होगा तथा कभी निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि वह अनुसूची में शामिल किसी पद को लाभ का पद होने के कारण धारित करता है ।
3. **इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उत्पन्न प्रश्नों के निराकरण**-इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उद्भूत किसी प्रश्न कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत धारित कोई पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्धारण इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के प्रावधान उन सभी सम्बद्ध तिथियों को लागू थे ।

अनुसूची

(धारा-2 से संबध)

1. राज्य विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) के अंतर्गत कार्यकारी अध्यक्ष का पद शामिल है ।
2. मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री के पद ।
3. संसदीय सचिव का पद ।
4. महाधिवक्ता
5. सरकारी वकील
6. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित लोक अभियोजक ।
7. प्रॉविन्सियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 (1920 का 5) के अन्तर्गत नियुक्त ऑफिसियल रिसीवर ।
8. सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक तथा विधान-सभा में मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के सचेतक का पद ।
9. स्थानीय सेना के राष्ट्रीय कैडेट कोर का कोई पद ।
10. रिजर्व एण्ड ऑक्जिलियरी एअर फोर्स एक्ट, 1952 (1952 का 62) के अंतर्गत सृजित सहायक वायु सेना या वायु प्रतिरक्षा रिजर्व का कार्यालय ।
11. केन्द्र या राज्य सरकार या सरकार के किसी सेवक द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय, बशर्ते ऐसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या कोई सदस्य क्षतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते हों ।

स्पष्टीकरण i.-इस मद के लिए "क्षतिपूरक भत्ते" से तात्पर्य है -

- क. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या मानदेय के रूप में दिया गया कोई अन्य भत्ता, जो ऐसी समितियों या निकायों की बैठकों में भाग लेने या ऐसे पदों के धारक के रूप में अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए वैयक्तिक खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पदधारक को प्रदेय हो, एवं

ख. आवास आबंटन एवं वाहन की सुविधा, और अन्य ऐसी सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार जो ऐसे पदधारियों को प्रदेय हों या इन सुविधाओं के बदले राज्य सरकार, बोर्ड या कमिटी के शासी निकाय द्वारा दी जानेवाली नगद राशि जो यथास्थिति इस संबंध में समय-समय पर एवं ऐसी अभिलिखित शर्तों पर निर्धारित किये जायें ।

स्पष्टीकरण ii.-इस पद के लिए निकाय का तात्पर्य निगम, न्यास, बोर्ड तथा प्राधिकार से है ।

12. किसी बीमाकर्ता के अधीन कोई कार्यालय जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबंध केन्द्र सरकार में निहित हो गया हो ।

स्पष्टीकरण -इस खंड के निमित्त "नियंत्रित व्यापार" एवं "बीमाकर्ता" शब्दों का वही अर्थ है जो जीवन बीमा (आपात प्रावधान) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) के अंतर्गत उन्हें क्रमशः संगत किये गये हैं ।

13. केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त निर्धारित कमीशन पर या कमीशन के बिना राष्ट्रीय योजना पत्रों के विक्रय सुनिश्चित करने या उनके लिए अंशदान एकत्र करने के अभिप्राय से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अभिकर्ता का या समरूप या अन्य कार्यालय ।

स्पष्टीकरण -इस खंड के निमित्त, राष्ट्रीय योजना पत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- i. बारह वर्षों का राष्ट्रीय बचत पत्र
- ii. दस वर्षों का राष्ट्रीय योजना पत्र, एवं
- iii. कोई अन्य बचत पत्र या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सदृश सरकारी प्रतिभूति;

14. झारखण्ड विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद ।

15. किसी वैधिक निकाय के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक या किसी समिति का एक सदस्य जिस किसी भी नाम से भी पूर्वोक्त पद अभिहित हों ।

स्पष्टीकरण-मद संख्या 15 के निमित्त, पद में ऐसे अन्य पद भी शामिल हैं जो वैधिक निकाय में मद संख्या 15 में उल्लिखित पद के साथ संयुक्त रूप से धारित हों ।

16. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत गठित होमगार्ड के एक सदस्य का पद ।

17. किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सिंडिकेट, सिनेट, कार्यकारिणी समिति, काउन्सिल या कोर्ट के चेयरमैन या सदस्य का पद या विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ अन्य निकाय ।

18. किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का पद ।

19. राज्य सरकार के प्रबंध के अन्तर्गत किसी अस्पताल में किसी मानद स्वास्थ्य पदाधिकारी या मानद सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी का पद ।

20. सेवा पेंशन, राजनीतिक पेंशन या अनुदान, मनसब, धर्मार्थ अनुदान या जागीर, इनाम या अन्य अनुदान की क्षतिपूर्ति में रूपान्तरण राशि प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति ।

21. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के परीक्षक का पद ।
22. भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद या राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।